

अरावली को हरति संरक्षण

प्रलमिस के लयि:

अरावली रेंज का भौतिक भूगोल, पंजाब भूमि संरक्षण अधनियिम, वन संरक्षण अधनियिम 1980

मेन्स के लयि:

अरावली रेंज का महत्त्व, वन संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [अरावली पर्वतमाला](#) में वन भूमि के लयि **हरति संरक्षण** का वसितार कयि ।

- न्यायालय के नरिणय का अर्थ है कहरियाणा में अरावली और शवालिकि में लगभग 30,000 हेक्टेयर वन भूमि भानी जाएगी ।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कहरियाणा में [पंजाब भूमि संरक्षण अधनियिम \(PLPA\)](#) की धारा 4 के तहत जारी वशिष आदेशों के अंतरगत आने वाली सभी भूमि को वन क्षेत्र माना जाएगा तथा यह भूमि [1980 के वन संरक्षण अधनियिम](#) के तहत संरक्षण की हकदार होगी ।
 - धारा 4 के तहत आने वाली ऐसी भूमि में केंद्र सरकार की सहमति के बनिा कोई व्यावसायिक गतिविधिया इसका गैर-वन उपयोग नहीं कयि जा सकता है ।
- यह भी कहा गया है कPLPA की धारा 4 के तहत जारी वशिष आदेशों के अंतरगत आने वाली भूमि तथा वन अधनियिम की धारा 2 के तहत आने वाली सभी भूमि वन के रूप में शामिल होगी ।
- न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने में ऐसी भूमि से कसी भी गैर-वन गतिविधि को हटाने और अनुपालन रिपोर्ट देने का नरिदेश दयि ।
- पीठ ने सतिंबर 2018 के एक नरिणय पर वचिर कयि जसिमें PLPA के तहत सभी भूमि को वन क्षेत्र माना जा सकता है ।
 - हाल के नरिणय ने स्पष्ट कयि कपछिला नरिणय PLPA की धारा 4 और वन अधनियिम की धारा 2 के संबंध में इसके कानूनी प्रभाव की बारीकी से जाँच करने में वफिल रहा ।

Protecting Haryana's ecology

IN CONTENTION

At the heart of the issue is the classification of land under Section 4 of the colonial era Punjab Land Preservation Act (PLPA), which remains in force since Haryana was part of undivided Punjab. The Section was used to demarcate certain areas that need to be protected from any sort of erosion

PAST ORDERS

- The issue dates back to past Supreme Court orders, in particular one in 2018 which held that areas notified under Section 4 of the PLPA should be deemed as forest land under the Forest Conservation Act
- The 2018 ruling deemed any construction on those classified lands as illegal, and should therefore be demolished

HARYANA'S RESPONSE

- The state said the 2018 order would mean 100% area of 11 of the state's 22 districts, including Gurugram and Faridabad, would need to be razed
- The state in February 2019 passed an amendment to the PLPA and excluded certain land meant for construction from the PLPA classification. This amendment was stayed by a Supreme Court bench a month later

THE LATEST RULING

- The SC upheld that Section 4 demarcations were valid and had "trappings of forest lands"
- The court also made a distinction – even if all demarcations were considered to be falling within parameters of protection of the PLPA, this did not make them fall within the Forest Act provisions
- It also rejected the state's contention that all 11 districts will need to be considered as forests, saying that in case of Gurugram, PLPA's Section 4 will apply only 5.4% of the land



PLPA की धारा 4 और वन अधिनियम की धारा 2:

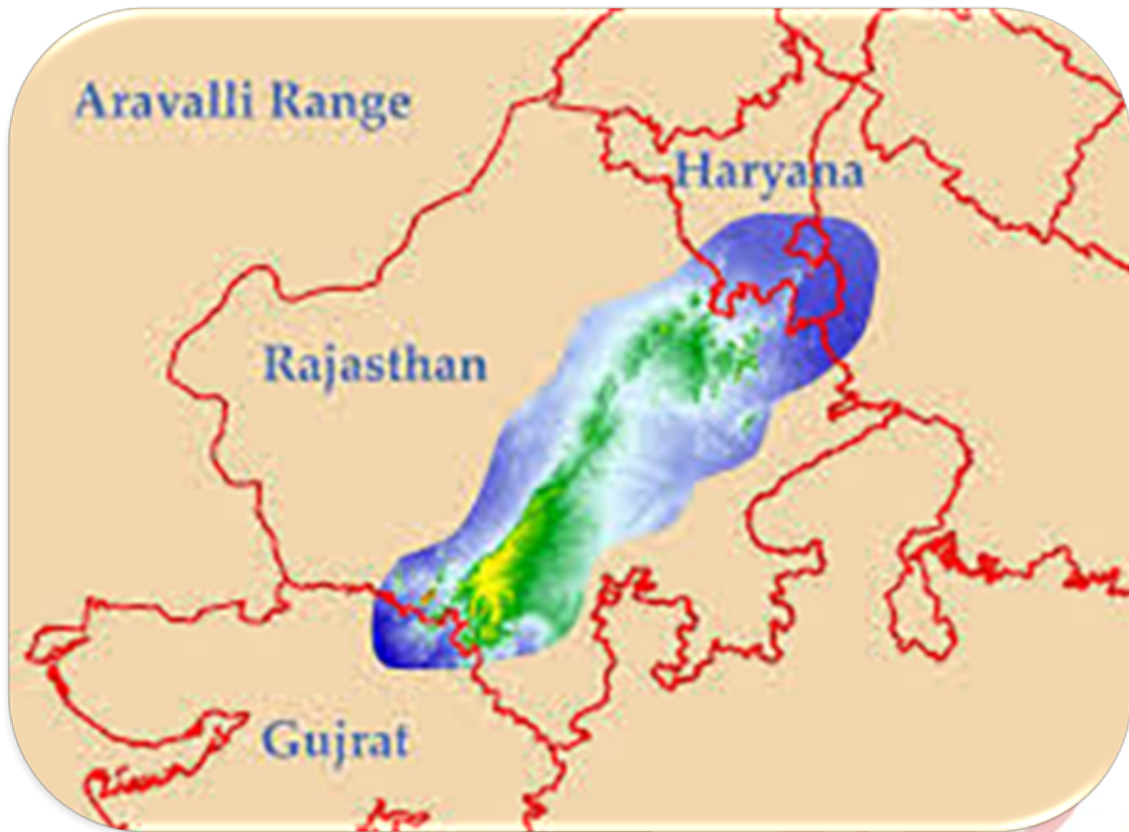
■ पंजाब भूमिसंरक्षण अधिनियम (PLPA) की धारा 4:

- PLPA की धारा 4 के तहत वशिष्ट आदेश का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा एक नरिदष्टि क्षेत्र में वनों की कटाई (जसिसे मटिटी का क्षरण हो सकता है) को रोकने के लिये जारी किये गए प्रतर्बिधात्मक प्रावधान से है।
- जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि बड़े क्षेत्र का हसिसा बनने वाले वन क्षेत्र के वनों की कटाई से मटिटी का क्षरण होने की संभावना है, तो धारा 4 के तहत शक्तिका प्रयोग किया जा सकता है।
 - इसलिये जसि वशिष्ट भूमि के संबंध में PLPA की धारा 4 के तहत वशिष्ट आदेश जारी किया गया है, उसमें वन अधिनियम द्वारा शासित वन के सभी नियम शामिल होंगे।
- जबकि PLPA की धारा 4 के वशिष्ट आदेशों के तहत अधसूचित भूमि वन भूमि होगी, PLPA के तहत सभी भूमि वास्तव में वन अधिनियम के अर्थ में वन भूमि नहीं मानी जाएगी।

■ वन अधिनियम की धारा 2:

- वन अधिनियम की धारा 2 केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बनावनों के अनारक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के उपयोग पर प्रतर्बिंध लगाती है।
 - किसी भूमि को वन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत शामिल करने के बाद चाहे धारा 4 के अंतर्गत वशिष्ट आदेश जारी हो या नहीं, वह वन भूमि ही मानी जाएगी।

अरावली रेंज:



■ अवस्थिति:

- अरावली रेंज का वसितार गुजरात के हममतनगर से दलिली तक लगभग 720 कमी. की दूरी तक है, जो हरयाणा और राजस्थान तक वसितारति है।

■ रचना:

- अरावली रेंज लाखों साल पुराना है, जसिका नरिमाण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ।

■ आयु:

- [कार्बन डेटिंग](#) से पता चला है क अरावली रेंज में ताँबे और अन्य धातुओं का खनन लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कया गया था।

■ वशिषताएँ:

- अरावली वशिष के सबसे पुराने वलति पर्वतों में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में वदियमान है, इसकी ऊँचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच है।
- अरावली रेंज की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थति गुरु शखिर (1,722 मीटर) है।
- यह मुख्य रूप से वलति पर्वत है, जसिका नरिमाण दो प्लेटों के अभसिरण के कारण हुआ है।

■ वसितार:

- पहाड़ों को राजस्थान में दो मुख्य श्रेणियों सांभर सरिही रेंज और सांभर खेतड़ी रेंज में वभाजति कया गया है, जहाँ उनका वसितार लगभग 560 कमी. तक है।
- दलिली से लेकर हरदिवार तक फैले अरावली का अदृश्य भाग गंगा और सधु नदियों के जल के बीच एक वभाजन बनाता है।

■ महत्त्व:

- **मरुस्थलीकरण को रोकने में:**
 - अरावली पहाड़ी पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में रेतीले रेगस्तान के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है।
 - ऐतहिसकि रूप से यह कहा जाता है क अरावली शृंखला [नेथार मरुस्थल](#) को गंगा के मैदानों तक वसितारति होने से रोकने का कार्य कया है जो नदियों और मैदानों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता था।
- **जैववविधिता में समृद्ध:**
 - यह पौधों की 300 स्थानिक प्रजातियों, 120 पक्षी प्रजातियों और सयार तथा नेवले जैसे कई वशिष्ट जानवरों को आश्रय प्रदान करता है।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:**
 - अरावली का उत्तर-पश्चिम भारत और उसके बाहर की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है।
 - यह रेंज मानसून के दौरान बादलों को शमिला और नैनीताल की ओर मोड़ने में सहायता करता है, जसिसे उप-हिमालयी नदियों को जल प्राप्त होता है और इस जल से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को पानी की प्राप्ति होती है।
 - सर्दियों के मौसम में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों वचिर कीजयि: (2015)

तीर्थ स्थान

1. श्रीशैलम : नललामाला पहाड़ी
2. ओंकारेश्वर : सतमाला पहाड़ी
3. पुष्कर : महादेव पहाड़ी

उपरयुक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- श्रीशैलम नललामाला पहाड़ियों की चोटी पर स्थति है। यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में कृष्णा नदी के दाहिनी ओर है। यह सदियों से शैव तीर्थयात्रा का लोकप्रिय केंद्र रहा है। **अतः युगम 1 सही सुमेलति है।**
- ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में स्थति है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह नर्मदा नदी में मांघाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थति है। द्वीप का आकार हनु 'ओम' प्रतीक जैसा बताया गया है। दूसरी ओर सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में फैली हुई हैं। वे नासिक के भीतर सह्याद्रि श्रेणी का एक अभिन्न अंग हैं। **अतः युगम 2 सही सुमेलति नहीं है।**
- पुष्कर राजस्थान के अजमेर ज़िले का एक कस्बा है। यह हनुओं और सखों का एक धार्मिक तीर्थस्थल है। पुष्कर राजस्थान के मध्य-पूर्वी भाग में अरावली पर्वत के पश्चिम में है, जबकि महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियों की एक शृंखला है। ये पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में स्थति हैं। **अतः युगम 3 सुमेलति नहीं है।**

अतः विकल्प A सही है।

स्रोत: हनुस्तान टाइम्स